

(नियम 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

गोगा बनाम शंकरलाल वगै०

किस्म मुकदमा-प्रा०पत्र बाजदायरी पुनः नम्बर पर लिये जाने वादपत्र

प्रकरण संख्या 03 सन् 2024

2024/289

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
16.09.2024	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थिया उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी० जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक) </p>	
17/01/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिपक्षी उपस्थित/पी० आ० सहायक जज कार्यालय में बसत/अपक्षीय पर/आपक्षीय परित होने के कारण पत्रावली 19 आदेशिका अनुसार दिनांक 17/01/25 को पेश हो।</p>	
17/01/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप/प्रतिपक्षीगण की तलबी से चुरी हो। प्रतिपक्षी वाकपूरा तलबी अनुपस्थित रहे। उपर: उनके बिल्ट एड तलबी कार्यवाही असल में जारी जारी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहरा का निवेदन किया। बहरा उन्नी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.01.25 को पेश हो।</p>	
22/01/25	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप/ पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली को न्यायालय द्वारा अदम एजरी अदम पेशी में स्नारिज की गई है, जबकि प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए प्रवक्ता को सुव्यवस्था पर निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p>	

अतः प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता
है। प्रकृषा की पुनः नम्बर पर लिया जाने। पत्रावली
निर्दिष्ट शुभार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं प्रत
पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

OM
उप खण्ड अधिकारी
बीपल (टॉक)

विभागाध्यक्ष
बीपल (टॉक)